न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/285

1. स्वर्गीय मन्ना उर्फ मन्ना लाल आत्मज गणेश जी जाति दरोगा निवासी ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. जितेन्द्र सिंह आत्म्ज स्व0 श्री मन्ना जी जाति दरोगा निवासी ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. श्रीमती चन्द्रकला पुत्री स्व0 श्री मन्ना जी पत्नी श्री नरेश सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम रातडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. श्रीमती रेणु पुत्री स्व0 श्री मन्ना जी पत्नी श्री कैलाश जी जाति दरोगा निवासी ग्राम फटकूडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती बबीता पुत्री स्व0 मन्ना जी पत्नी श्री रघुवीर जी जाति दरोगा निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील उनियारा जिला टोंक ।
   1/5. श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 श्री मन्ना जी जाति दरोगा निवासी ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/6. श्रीमती आशा पत्नी स्वर्गीय श्री मन्ना लाल जी जाति दरोगा निवासी ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––––अपीलान्ट

बनाम

1. तीजू बाई पत्नी श्री रामदेव जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. भूमिधारी तहसीलदार, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

––––रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/294

1. स्वर्गीय मन्ना उर्फ मन्ना लाल आत्मज गणेश जी जाति दरोगा निवासी ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. जितेन्द्र सिंह आत्म्ज स्व0 श्री मन्ना जी जाति दरोगा निवासी ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. श्रीमती चन्द्रकला पुत्री स्व0 श्री मन्ना जी पत्नी श्री नरेश सिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम रातडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. श्रीमती रेणु पुत्री स्व0 श्री मन्ना जी पत्नी श्री कैलाश जी जाति दरोगा निवासी ग्राम फटकूडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/4. श्रीमती बबीता पुत्री स्व0 मन्ना जी पत्नी श्री रघुवीर जी जाति दरोगा निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील उनियारा जिला टोंक ।

1/5. श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 श्री मन्ना जी जाति दरोगा निवासी ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

1/6. श्रीमती आशा पत्नी स्वर्गीय श्री मन्ना लाल जी जाति दरोगा निवासी ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. तीजू बाई पत्नी श्री रामदेव जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. भूमिधारी तहसीलदार, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से दोनों अपीलों में

निर्णय

दिनांक: 04.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी की होने तथा समान प्रकृति की होने से तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में सलंग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम बागेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 188 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 189 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 490/242 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिया ने 02 वर्ष पूर्व अनोख पुत्री गणेश जाति दरोगा से क्रय कर मौके पर बहैसियत सहखातेदार कृषक आधिपत्य प्राप्त किया था । उक्त वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी क्रम 1 व अनोख बाई के मध्य वर्षों से मौके पर आपसी सहमति से बाहमी विभाजन हो रहा था । दिनांक 02.05.2014 को वादिनी ने प्रतिवादी क्रम 1 से वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवा लेने को कहा तो उन्होंने इंकार कर दिया । वादिया को अधिकार

प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और नियमानुसार मौके पर वर्तमान कब्जे की स्थिति अनुरूप विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता कायम करवाये एवं लगान का पृथक से निर्धारण करवाये ।

4. अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे की स्थिति के मुताबिक जमाबन्दी में पृथक राजस्व खाता कायम कर भूमि का विभाजन किया जावे । पूर्व में हुए विभाजन को न्यायालय द्वारा स्वीकार नही किये जाने की स्थिति में उक्त भूमि का वादिया के हिस्से के मुताबिक नियमानुसार विधि सम्मत तरीके से विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिया को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे, वादिया की फसल को नष्ट–भ्रष्ट नहीं करे वादिया के कब्जे काश्त में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 02.06.2016 के द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की तथा दिनांक 15.05.2017 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 के कायममुकामान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद में प्रतिवादी ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया था । वादिया द्वारा काउन्टर क्लेम का भी जवाब प्रस्तुत किया गया था । पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.06.2016 वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई थी । अपीलान्ट ने लोक अदालत में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी थी और न ही पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया था फिर भी लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम निर्णित नहीं करने में त्रुटि की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त फरमाये जावें ।

7. अपीलान्ट ने अपील संख्या 17/285 के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.06.2016 की नियत तारीख पर पीठासीन अधिकारी के राजस्व लोक अदालत कैम्प में व्यस्त होने के कारण नोटिस बोर्ड पर आगामी पेशी दिनांक 05.10.2016 नियत की गई बाद में आर्डरशीट में भी मोहर लगाकर तारीख नियत की गई । दिनांक 05.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने पर प्रार्थी को निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई । जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट संख्या 17/285 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपील संख्या 17/294 दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात में लम्बित थी और उसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.06.2016 नियत की हुई थी । इससे पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सीपीसी की पालना नहीं की गई । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त फरमाये जावें ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है और पक्षकारान को उनके हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 17/285 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात की कायमी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुआ है । सीपीसी की पालना किये बिना ही लोक अदालत में उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

13. हमने अंतिम डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है जो कि अनिवार्य है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/285 एवं 17/294 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2017 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करें । प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा